

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती प्रीति सिंह पंवार (आर.ए.एस.)

प्र0स0 – 74/2019

उनवान

1. किशन पिता मथुरालाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी जोरावरपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
2. भैरू पिता मथुरालाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी जोरावरपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
3. मेहन पिता मथुरालाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी जोरावरपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
4. मु.नरबदा बेवा मथुरालाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी जोरावरपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. रामचन्द्र पिता नाथुं दशोगा उम्र वयस्क निवासी जोरावरपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
2. रायमल पिता रामचन्द्र कुमावत उम्र वयस्क निवासी जोरावरपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
3. रामरतन पिता हजारी कुमावत उम्र वयस्क निवासी जोरावरपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
4. शिव पिता लक्ष्मण कुमावत उम्र वयस्क निवासी वामणिया का खेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज.
5. एस.बी.बी.जे.बैंक शाखा सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री मुरारी जोशी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगद्दी आराजीयात

:: निर्णय ::

दिनांक – 25.06.2019


प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 25.03.2019 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम जोरावरपुरा पटवार मण्डल कंकोलिया भू0अ0नि0 बनेड़ा तहसील बनेड़ा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 11 के आ0न0 594 कुल किता 1 रकबा 06-12 बीघा भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगद्दी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगद्दी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 23.03.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सुचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई दिनांक 25.06.2019 पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगद्दी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम जोरावरपुरा पटवार मण्डल कंकोलिया भू0अ0नि0 बनेड़ा तहसील बनेड़ा मे उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 11 के आ0न0 594 रकबा 06-12 बीघा भूमि की पत्थरगद्दी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बनेड़ा को 700/-रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगद्दी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगद्दी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगद्दी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगद्दी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगद्दी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(प्रीति सिंह पंवार)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा